न्यायालय सहायक जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/2020/84

1. कजोडमल पुत्र श्री नन्दकिशोर मीणा, जाति मीणा निवासी ग्राम गिरधारीलालपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर (राज0)

–वादी

बनाम

1. राजेश मीणा पुत्र स्व0 रामनाथ मीणा जाति मीणा
2. मोहनलाल मीणा पुत्र स्व0 रामनाथ मीणा जाति मीणा
3. माया देवी पत्नी राजेश मीणा
4. भास्कर मीणा पुत्र स्व0 प्रहलाद मीणा जाति मीणा

समस्त निवासीयान 7 नंबर बस स्टेण्ड के पास, टीला वाला, तहसील सांगानेर जिला जयपुर (राज0)

–प्रतिवादीगण

वादपत्र स्थाई निषेधाज्ञा

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

निर्णय दिनांक : 12.10.2020

वादी की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि वादी की खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नंबर 689/220 रकबा 0.1360 हैक्टयर, खसरा नंबर 691/221 रकबा 0.1140 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.2500 हैक्टेयर स्थित वाकै ग्राम टीलावाला, पटवार हल्का जगतपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र लुनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जिसका वादी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार हैं व बहैसियत रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार भौतिक व वास्तविक रूप से पूर्ण रूप से काबिज हैं तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि का बहैसियत शान्ति पूर्ण तरीके से निर्विवादित रूप से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं जिसमें प्रतिवादीगण सहित अन्य किसी भी व्यक्ति संस्था का कोई लेना देना, संबंध व सरोकार नही है। पूर्व खातेदार राजपाल मीणा पुत्र स्वर्गीय श्री कल्याण जो कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का पारिविारिक सदस्य है से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर उक्त भूमि की नाप जोख करवा कर भौतिक व वास्तविक कब्जा प्राप्त किया व विधि अनुसार अपने नाम नामान्तकरण खुलवाकर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार हो गया जिस भूमि पर आगे की ओर ईटो की पक्की दीवार व लोहे का गेट लगा हुआ हैं तथा वादी ही उसका एक मात्र मालिक, स्वामी, कब्जाधारी एवं आधिपत्यधारी हैं। प्रतिवादीगण की नियत में खोट हैं तथा वे साजिशान बाहुबल के आधार पर वादी की वादग्रस्त भूमि से

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.15 14:57:18 IST
Reason: SelfAttested

वादी को जबरन बेदखल कर स्वंय काबिज होना चाहते है तथा वादी की भूमि को हड़प करना चाहते है जिस गरज से प्रतिवादीगण वादी को आये दिन एक राय होकर हैरान परेशान करते रहते हैं ताकि वादी परेशान होकर स्वंय भाग जाये जब प्रतिवादीगण अपने उक्त मनसूबो में कामयाब नही हुये तो प्रतिवादीगण एक राय होकर दिनांक 06.06.2020 को आये और उन्होने बाउण्ड्रीवाल को क्षतिग्रस्त करके वादग्रस्त भूमि के अन्दर जे0सी0बी0 के साथ अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया और वादी के स्वामित्व की उक्त भूमि से मिट्टी खोद कर ले गये और वादी की कृषि भूमि की किस्म को काफी क्षति कारित की जिस की रिपोर्ट वादी द्वारा उसी दिन एक लिखित शिकायत पुलिस थाना प्रताप नगर जयपुर में दिनांक 06.06.2020 को प्रस्तुत कि जिस पर पुलिस थाना प्रताप नगर जयपुर द्वारा शिकायत संख्या 000482 दिनांक 06.06.2020 को दर्ज की तथा वादी द्वारा जब प्रतिवादीगण को अपनी भूमि में अनाधिकृत प्रवेश करने से व नुकसान कारित करने से समझाईश पूर्वक रोका तो प्रतिवादीगण एक राय होकर वादी के साथ आमादा फसाद होकर मारपीट पर उतारू हो गये तथा अभद्र व्यवहार करने लगे और वादी को ऐलानिया धमकी दी कि उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण वादी को शान्ति पूर्वक उपयोग व उपभोग नही करने देगें और धमकी दी की या तो वादी राजीखुशी उक्त भूमि को ओने–पोने दामो में प्रतिवादीगण को बेचान कर दे अन्यथा वे जबरन बाहुबल के आधार पर वादी को बेदखल कर कब्जा कर लेगें तथा उक्त भूमि से संबंधित झूठे वादपत्र न्यायालयों में प्रस्तुत कर भूमि को विवादग्रस्त कर देगे। इसलिए श्रीमान् के समक्ष यह वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण व उनके एजेन्ट, सर्वेन्ट, मित्र, रिश्तेदार, जन प्रतिनिधि वादी की उक्त वर्णित कृषि आराजीयात खसरा नंबर 689/220 रकबा 0.1360 हैक्टयर एवं खसरा नंबर 691/221 रकबा 0.1140 कुल रकबा 0.2500 हैक्टेयर वाकै ग्राम टीलावाला, पटवार हल्का जगतपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादी के उपयोग व उपभोग व निमार्ण कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा या रूकावट पैदा नही करे तथा वादी को उसकी उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि से जबरन बेदखल कर अतिक्रमण नही करे ऐसा कृत्य प्रतिवादीगण ना तो स्वंय करे और ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, परिवारजन, प्रतिनिधि आदि से ही करवाये।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ जमाबंदी संवत् 2074 से 2077, छायाप्रति थानाधिकारी को प्रस्तुत शिकायत दिनांक 06.06.2020 प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विचाराधीन पत्रावली में वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4 की ओर से राजीनामा पेश किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से प्रस्तुत राजीनामें में अंकित है कि कृषि आराजीयात वाकै ग्राम टीलावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नंबर 689/220, 691/221 किता 2 कुल रकबा 0.25 हैक्टेयर के संबंध में विचाराधीन है जिसमें पक्षकारान् एक ही समाज के व्यक्ति है लोक अदालत की भावना से आपसी सहमति से आपसी प्रेम व सौहार्य बना रहे इस उद्वेशय से यह राजीनामा निम्न प्रकार से कर रहे हैः–

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.15 14:57:18 IST
Reason: SelfAttested

उक्त खसरा नंबरान् की भूमि के संबंध में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के मध्य अब कोई विवाद शेष नही रहा है। उक्त खसरा नंबरान् की भूमि पर वादी अपने हिस्से की भूमि पर कब्जे काश्त में है तथा उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नही है ना ही प्रतिवादी उक्त भूमि के संबंध में अब किसी प्रकार का कब्जे काश्त उपयोग व उपभोग निर्माण में किसी प्रकार से बाधा व रूकावट पैदा नही करेगे। ना ही प्रार्थी को उसकी भूमि से जबरन बेदखल करेगे ना ही अपने एजेन्ट, परिवारजन से करावेगे। अतः वादी का वाद राजीनामा अनुसार डिक्री कर दिया जावे तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को कोई उर्ज व ऐतराज नही हैं।

प्रस्तुत राजीनामे का मय पत्रावली अवलोकन किया गया। न्यायहित में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामा वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते है। अतः वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है कि खसरा नंबर 689/220, 691/221 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2500 हैक्टेयर वाकै ग्राम टीलावाला, पटवार हल्का जगतपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादी के उपयोग व उपभोग व निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा या रूकावट पैदा नही करे तथा वादी को उसकी उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि से जबरन बेदखल कर अतिक्रमण नही करे ऐसा कृत्य प्रतिवादीगण ना तो स्वंय करे और ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, परिवारजन, प्रतिनिधि आदि से ही करवाये। इस आशय की डिक्री जारी हो। प्रस्तुत राजीनामा इस निर्णय का अभिन्न जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2020 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.15 14:57:18 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** ब इजलास **श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)**

कजोड मीणा

बनाम

राजेश मीणा वगै.

वादपत्र स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर – दावा/2020/84

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामा वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते है। अतः वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है कि खसरा नंबर 689/220, 691/221 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2500 हैक्टेयर वाकै ग्राम टीलावाला, पटवार हल्का जगतपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादी के उपयोग व उपभोग व निमार्ण कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा या रूकावट पैदा नही करे तथा वादी को उसकी उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि से जबरन बेदखल कर अतिक्रमण नही करे ऐसा कृत्य प्रतिवादीगण ना तो स्वंय करे और ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, परिवारजन, प्रतिनिधि आदि से ही करवाये। प्रस्तुत राजीनामा इस निर्णय का अभिन्न जुज रहेगा। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाती है।

निज ....——.......... मुबलिग ....——.......... बाबत् ....——.......... ....——.......... खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह ....——.......... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....——.......... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.10.2020 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....

ओहदा .... सहायक कलक्टर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान		00	मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.15 14:57:18 IST
Reason: SelfAttested